M/s Mussoorie Sky Car Campany Private Limited द्वारा देहरादून (पुरूकुल गांव) से पुस्तकालय, मसूरी के मध्य प्रस्तावित हवाई यात्री रज्जुमार्ग के पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 16.08.2021, समय 11.00 बजे, स्थल नियर मंदिर प्रांगण, पुरूकुल गांव, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।

M/s Mussoorie Sky Car Campany Private Limited द्वारा देहरादून (पुरूकुल गांव) से पुस्तकालय, मसूरी के मध्य प्रस्तावित हवाई यात्री रज्जुमार्ग के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को जन सुनवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत गतिविधि 7(G) श्रेणी (A) के अन्तर्गत आच्छादित है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र Hindustan Hindi (U.K. Edition) व Time of India (Hindi Edition) में दिनांक 09.04.2021 के अंक में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के आयोजन की सूचना प्रकाशित की गयी थी। **(संलग्नक–1)** प्रदेश में कोविड–19 लॉक डाउन होने के कारण उक्त लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 10.05.2021 को नहीं कराया जा सका। पुनः जन सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्र Hindustan Hindi (U.K. Edition) व Time of India (Hindi Edition) में दिनांक 15.07.2021 के अंक में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के आयोजन की सूचना प्रकाशित की गयी।

जिलाधिकारी महोदय, देहरादून द्वारा नामित श्री जी0सी0 गुणवन्त, अपर जिला अधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 16.08.2021 को समय 11.00 बजे, स्थल नियर मंदिर प्रांगण, पुरूकुल गांव, जनपद देहरादून में किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नकानुसार रही। (संलग्नक–2) इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था M/s Perfectenviro Solution Pvt. Ltd. New Delhi द्वारा बनायी गई ई0आई0ए0 रिपोर्ट पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसका सांरांश निम्नानुसार है–

1. प्रस्तावित परियोजना स्थल देहरादून (पुरूकुल गांव) से पुस्तकालय, मसूरी के मध्य रोप–वे, जिसकी लम्बाई 5302 मीटर डिटेचेबल मोनोकेबल गों–डोला सिस्टम व अनुमानित लागत रू0 285.2 करोड़ है। परियोजना निचला टर्मिनल (LTP) ग्राम पुरूकुल देहरादून में 958.2 मीटर (समुद्र तल से उंचाई पर) स्थित व उपरी टर्मिनल (UTP) पुस्तकालय मसूरी में 1996 मीटर (समुद्र तल से उंचाई पर) स्थित है। साथ ही परियोजना दून घाटी इको सेंसीटिव क्षेत्र के कारण General Condition को भी आर्कषित करती है।

2. प्रस्तावित रोप–वे का तकनीकि विवरण देहरादून (पुरूकुल गांव) से पुस्तकालय, मसूरी के मध्य जिसकी लम्बाई 5302 मीटर डिटेचेबल मोनोकेबल गों–डोला सिस्टम, जिसकी गति 6 मीटर/सेकेंड टर्मिनलों के मध्य उंचाई का अन्तर 1037.8 मीटर त्रियक लम्बाई 5402.6 मीटर और ढोने वाली रस्सी 11000 Meter of Dia 60mm, केबिनों की

संख्या–54, यात्रा का समय 15 से 18 मिनट एवं कुल टावरों की संख्या–25 प्रस्तावित है।

3. प्रस्तावित रोप–वे परियोजना हेतु TOR पत्रांक संख्या–F.No. 10-60/2020-IA-III दिनांक 05.10.2020 एवं 18.01.2021 को निर्गत की गई। प्रस्तावित रोप–वे परियोजना से पर्यटकों को वर्तमान से तेज और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। वर्तमान में देहरादून से मसूरी की यात्रा का समय 1.30 घंटा है। रोव–वे संचालन के उपरान्त यात्रा का समय 15 से 18 मिनट का हो जायेगा। प्रस्ताविक परियोजना का कुल क्षेत्रफल 63500 मीटर^2 है, जिसमें से वन क्षेत्र 9700 मीटर^2 व गैर वन क्षेत्र 53800 मीटर^2 एवं निचला टर्मिनल (LTP) ग्राम पुरूकुल देहरादून का क्षेत्रफल 42000 मीटर^2 है, उपरी टर्मिनल (UTP) पुस्तकालय मसूरी का क्षेत्रफल 17000 मीटर^2 है। रोप–वे कोरिडोर क्षेत्र तथा टावर क्षेत्र 4500 मीटर^2 है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 63500 मीटर^2 है। रोप–वे की कुल क्षमता 2000 (PPH) है। कार्य के औसत 10 घंटे हैं।

4. प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रभाग अधिसूचना 2006 एवं अनुगामी संशोधनों के अनुसार यह प्रस्तावित परियोजना गतिविधि 7(G) category (A) में वर्गीकृत की गई है, जिस सम्बन्ध में TOR F.No. 10-60/2020-IA-III दिनांक 05.10.2020 एवं 18.01.2021 को जारी किया गया।

5. प्रस्तावित परियोजना में कुल जल खपत 45 क्यूबिक मीटर/दिन, जिसकी आपूर्ति जल संस्थान के माध्यम से की जायेगी एवं घरेलू प्रकियाओं से जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु 33 के0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 का प्रस्ताव दिया गया है। एवं 381 किग्रा/दिन ठोस अपशिष्ट जनित होगा, जिसका निस्तारण नियमानुसार होगा। प्रस्तावित रोप–वे परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा देगा। क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा एवं रोप–वे के निर्माण चरण में लगभग 200 स्थानीय लोगों को तथा रोप–वे के संचालन के उपरान्त 175 लोगों को रोजगार दिया जायेगा।

6. प्रस्तावित रोप–वे परियोजना के निचले टर्मिनल पर 1500 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी एवं यात्री होल्डिंग, कर्मचारी आवास, शौचालय, एस0टी0पी0, डी0जी0 सैट, फूड कोर्ट एवं उपरी टर्मिनल पर सीमित गाड़ियों के लिये पार्किंग, टिकट काउंटर और टर्मिनल स्टेशन की मसूरी माल रोड़ के साथ सार्वजनित आवागमन, एस0टी0पी0, शौचालय व फूट कोर्ट बनाये जायेंगे।

7. प्रस्तावित रोप–वे परियोजना मानसून मौसम के दौरान भू–स्खलनों के परिणामस्वरूप सड़क जाम होने पर प्रस्तावित रोप–वे एक स्थिर एवं वैकल्पिक विकल्प प्रदान करेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय से उनके सुझाव एवं आपत्तियां लिखित एवं मौखिक रूप से आमन्त्रित किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **सुश्री कनिका रावत (बी0डी0सी0 सदस्य), निवासी पुरूकुल गांव** द्वारा जानना चाहा गया कि प्रस्तावित रोप–वे में स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु क्या योग्यता होगी व किस प्रकार की वरियता दी जायेगी एवं चयन प्रकिया के क्या मापदंड होंगे। इस पर परियोजना प्रबन्धक श्री राहूल जैन के द्वारा अवगत कराया गया कि सर्वप्रथम स्थानीय लोगों को ही वरीयता दी जायेगी एवं रोजगार से पूर्व सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं दीर्घकालीन रोजगार परख में उनके प्रशिक्षण हेतु केन्द्र खोलें जायेंगे।

2. **श्रीमती गोदावरी थापली (पूर्व प्रधान व जिला पंचायत सदस्य) ग्रम पुरूकुल** के द्वारा स्थानीय लोगों को परियोजना में रोजगार, पार्किंग, फूड कोर्ट आदि दिये जायें और उसके क्या मानक होंगे। इस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि रोजगार शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अलग–अलग श्रेणियों में रोजगार दिये जायेंगे, जिसमें स्थानीय लोगों को वरियता दी जायेगी।

3. **श्री उपेन्द्र थापली, ग्राम पुरूकुल** के द्वारा कहा गया कि पूर्व में भी सरकारों ने परियोजना के सम्बन्ध में कई बार सर्वे और बैठकें करायी गयी हैं और परियोजना के शुरू होने में लगातार विलम्ब हो रहा है, जिससे क्षेत्र में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। चर्तुथ श्रेणी में रोजगार पूर्ण रूप से स्थानीय लोगों एवं भूमिधरों को ही दिया जाना चाहिए क्योंकि परियोजना से खातेदार प्रभावित हो हुए हैं एवं सभी गांववासी सामूहिक रूप से क्षेत्र के विकास हेतु परियोजना का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। प्रतिउत्तर में परियोजना प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि परियोजना में स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा जिस हेतु परियोजना प्रबन्धक निरन्तर प्रयासरत् हैं कि परियोजना ससमय पूर्ण हो। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि जन सुनवाई में परियोजना से सम्बन्धित विषयों पर ही चर्चा की जाये, अतिरिक्त रूप से राजनियक विषयों को न उठाया जाये।

4. **श्री श्याम सिंह पुण्डरी (उपाध्यक्ष जिला पंचायत) ग्राम पुरूकुल** द्वारा कहा गया कि परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार एवं परियोजना में पार्किंग एवं फूड कोर्ट में भी स्थानीय लोगों को वरियता दी जाये। इस पर परियोजना प्रबन्धक के द्वारा कहा गया कि परियेाजना में रोजगार स्थानीय लोगों को ही दिया जायेगा तथा पार्किंग व फूट कोर्ट के सम्बन्ध में परियोजना प्रारम्भ होने पर ही पृथक से चर्चा की जायेगी। यथा सम्भव इन विषयों पर भी स्थानीय ग्रामवासियों को वरियता दी जायेगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक व सामाजिक रूप से विकास होगा।

5. **श्री विशाल थापली, ग्राम पुरूकुल** द्वारा कहा गया कि रोप–पे परियेाजना हेतु ग्रामवासियों के द्वारा भूमि दी गयी है। परियेाजना के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को

पार्किंक व फूड कोर्ट में वरियता दी जाये एवं परियोजना संचालन के उपरान्त जनित होने वाले सॉलिड वेस्ट से क्षेत्र में गन्दगी होने की संभावना है, जिसके चालान हेतु ग्राम पंचायत को अधिकार दिये जायें, जिससे ग्राम पंचायत आर्थिक रूप से सम्पन्न होगी। परियोजना प्रबन्धक द्वारा फूड कोर्ट में स्थानीय लोगों को वरियता दी जायेगी एवं उनके वेतनमान सरकार के नियमों के अनुरूप ही दिये जायेंगे। रोप–वे संचालन से उत्पन्न होने वाले सॉलिड वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा।

6. **श्री संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, होटल मसूरी एसोशिएशन, मसूरी** द्वारा कहा गया कि रोप–वे के उपरी टर्मिनल पर पार्किंग हेतु क्या व्यवस्था होगी व परियोजना में उपयोग होने वाले 45 के0एल0डी0 जल खपत की आपूर्ति एवं उसका क्या स्रोत होगा। इस पर परियोजना प्रबन्धक के द्वारा कहा गया कि उपरी टर्मिनल पर पांर्किंग की व्यवस्था की जायेगी एवं परियोजना में जल की आपूर्ति जल सस्थान के माध्यम से की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्रोतों के सम्बन्ध मे पृथक से विचार किया जायेगा।

7. **श्री आर0एम0 माथुर, मसूरी होटल एशोशिएसन** द्वारा जानना चाहा कि रोप–वे बनने से पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे पर्यटन में वृद्धि होगा या कमी होगी। परियोजना में प्रस्तावित पार्किंग एवं रोप–वे की ट्रॉली में पर्यटकों के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के सामान को ले जाने की क्या व्यवस्था होगी। इस पर परियेाजना प्रबन्धक के द्वारा कहा गया कि मसूरी का आर्कषण यहां का मौसम है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आर्कषित करता है। रोप–वे के बनने से सुगमता आयेगी एवं निश्चित रूप से पर्यटन में वृद्धि होगी।

8. **श्री शैलेन्द्र करनवाल, सेक्रेटरी, मसूरी होटल एशोसिएशन, मसूरी** द्वारा कहा कि रोप–वे में परिवहन की अतिरिक्त रूप से क्या व्यवस्था की जायेगी एवं ट्रालियों को क्या किराया होगा एवं देहरादून से मसूरी और मसूरी से देहरादून हेतु यातायात की अतिरिक्त रूप से व्यवस्था की जाये। इस पर परियोजना प्रबन्धक के द्वारा कहा गया कि रोप–वे के संचालन के आने के उपरान्त ही ट्राली हेतु किराया निर्धारित किया जायेगा। रोप–वे के संचालन के उपरान्त पर्यटकों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जिस हेतु न मार्गों पर अतिरिक्त रूप से यातायात की व्यवस्था की जायेगी।

9. **श्री मनु कोचर, अध्यक्ष दूनवैली होटल एशोसिएशन, देहरादून** के द्वारा कहा गया कि रोप–वे परियोजना उत्तराखण्ड हेतु पर्यटन व रोजगार के क्षेत्र में आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी।

10. **श्री ठाकुर शेर सिंह थापली, ग्राम पुरूकुल** द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में पहले चूना पत्थर का अच्छा कार्य होता था एवं इसमें स्थानीय लोगों के ट्रक एवं उससे जनित रोजगार

प्राप्त था। परियोजना रोजगार परख होनी चाहिए व तृतीय व चर्तुथ श्रेणी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि जिस भूमि पर विवाद होगा, उसके निपटान की क्या व्यवस्था होगी, जब भी परियोजना का ले–आउट तैयार हो, पार्किंग तथा अन्य कार्यों में ग्राम पंचायत का सुझाव लिया जाये। परियोजना में सड़क का चौड़ीकरण किया जाये, जिससे पर्यटन में वृद्धि होगी तथा पूर्व से निर्मित सड़कों पर अतिरिक्त दबाव न पड़ें। इस परियोजना प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि परियोजना में स्थानीय लोगों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में सरकार के नियमानुसार वरियता दी जायेगी। पार्किंग व अन्य कार्यों में ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण सुझाव लिये जायेंगे। परियोजना के संचालन के उपरान्त निश्चित रूप से सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र का विकास एव पर्यटन में वृद्धि होगी। परियोजना प्रबन्धक के द्वारा कहा गया कि परियोजना में कुल भूमि 6.3500 है0 है, जो कि 21/01/2008 को M/s UPSMDCL से पर्यटन विभाग द्वारा क्रय की गयी एवं 1.424 है0 भूमि ग्राम सभा पुनकल से पर्यटन विभाग के नाम हस्तान्तरित की गई। उक्त भूमि में 0.5100 है0 पर जल संस्थान का जल शोधन संयंत्र भी स्थापित है। वर्तमान में परियोजना को इसी जल शोधन संयंत्र से जल की आपूर्ति की जायेगी। यदि भविष्य में परियोजना को अतिरिक्त रूप से जल की आवश्यकता पड़ेगी तो पृथक से उसकी आपूर्ति की जायेगी।

- परियोजना के ऊपरी टर्मिनल पुस्तकालय सिफन कोट में 1.720 है0 भूमि नगर पालिका मसूरी से उक्त भूमि पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित की गई।
- M/s UPSMDCL से 2008 में कुल भूमि 6.859 है0 क्रय की गई, जिसमें विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर, सड़क और जल शोधन संयंत्र स्थापित हैं।
- पर्यटन विभाग व खातेदार की कुछ जिग–जैग भूमि हैं। जिग–जैग भूमि को विनिमय/कागजों में अदला–बदला की जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूमि से सम्बन्धित प्रकरणों पर राजस्व उप निरीक्षकों को निर्देश दिये गये कि जिग–जैग भूमि/अन्य विषयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

11. **श्री राधे श्याम जुयाल (प्रधान, ग्राम पंचायत) ग्राम पुरूकुल** द्वारा लिखित रूप से रोप–वे के सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों की सहभागिता हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रत्यावेदन को लोक सुनवाई में पढ़ने हेतु कहा गया, जिस पर सुश्री कनिका रावत के द्वारा जन समुदाय के समक्ष प्रत्यावेदन को पढ़ा गया, जिसे लोक सुनवाई के कार्यवृत्त के रूप में संकलित किया गया। **(संलग्नक–3)**

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सामान्य को पुनः अपनी बात लिखित व मौखिक रूप से रखने को कहा गया। इसके पश्चात् अन्त में परियोजना के पक्ष व विपक्ष में मतदान की कार्यवाही की घोषणा की गई, जिसमें अधिक से अधिक लोगों द्वारा हाथ उठा कर परियोजना के पक्ष में मतदान किया गया। उपरोक्त जन समुदाय की आपत्तियों एवं सुझावों

को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया गया तथा जन सुनवाई की फोटाग्राफी एवं वीडियो रिर्काडिंग करायी गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

संलग्नक–

1. फोटो– 03 प्रतियां
2. डी0वीडी0– 03 प्रतियां
3. उपस्थिति पंजिका– 03 प्रतियां

(राकेश कण्डारी)
सहा0पर्या0अभियन्ता
यू0के0पी0सी0बी0
देहरादून

(जी0सी0 गुणवन्त)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून

22 R. N. Mallu 9837126615 Pradesh Mission
23 Neetu Rana 8449036673
24 Sunita Tyagi 9720241740 Sunita
25 Mthapa 8630824320
26 Girish Chandra Semwal 7017937899 Tax Supt. NPP Mussoorie
27 Bhupendra Singh 9259-60225
28 Laxman Singh 9410187021
29 हा० शेर सिंह थापली 8979600557
30 सुभाष
31 Karan Tayal 989660856
32 नरेश कुमार 9720241740 नरेश कुमार
33 सुमन ठाकुर 9761148878 सुमन
34 Manju
35 उमा थापली
36 कविता थापली (9760405210) Kavita
शा माहकूर
27 हरीश थापली 9756053065 Harish
वार्ड येम्बर
28 सुषमा 6395739973 Sushma
29 Suman Thapli 7895829255 Thapli
30 Naveen Pundir 9756149449 Naveen
31 Akash Thakur 9149342415
32 Rupesh Thapli 9897926632
33 Haim Rana 9634336583 Harish
34 धीर सिंह 9761723627 धीर सिंह
35 दिनेश 7417212596 दिनेश
36 विक्रम सिंह 9897440105 विक्रम सिंह
37 बालकिशन जोशी 9927852489
38 गजन सिंह 9410151114
39 तेजपाल 6395525613 तेजपाल
40 भगत सिंह 9719037566

41	Suraj	7895180169	Suraj
42	दिनेश	8449585964	दिनेश
43	पवन राणा	6398594868	Pawan
44	सुमित सिंह	8630785431	सुमित सिंह
45	Jaipal	7060228690	Jaipal

16.8.21

ग्राम पंचायत पुरकुल गाँव

विकासखण्ड सहसपुर, जनपद देहरादून

राधेश्याम जुयाल
प्रधान

पो0ओ0- भगवन्तपुर
देहरादून- 248009
मो0- 9837654876
9927159682

पत्रांक.....01.....

दिनांक 16.08.2021

सेवा में, -

जिला पर्यटन अधिकारी

जिला देहरादून

विषय- पुरकुल गांव से मसूरी तक जाने वाले रोपवे में स्थानीय निवासियों की सहभागिता के संबंध में प्रार्थना पत्र -

महोदय

अवगत कराना है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत पुरकुल से मसूरी तक रोपवे का निर्माण किया जाना है, जिसमें ग्राम वासियों से वार्ता कर निम्नलिखित मांगों को आपके समक्ष रखा गया है।

1- उपरोक्त निर्माणाधीन रोपवे में स्थानीय युवाओ को रोजगार में शत प्रतिशत प्राथमिकता दी जाए।

2- रोपवे निर्माण के बाद पार्किंग, कैंटीन इत्यादि का कार्य भी ग्राम वासियों को ही दिया जाए।

3- रोपवे के सुचारू रूप में आ जाने पर प्राप्त आमदनी का कुछ अंश ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए भी सुनिश्चित किया जाए।

अतः महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए ताकि भविष्य में होने वाले कार्यों पर ग्राम पंचायत भी आपको समय-समय पर सहयोग करती रहेगी।

धन्यवाद

ग्राम पंचायत पुरकुल
Radhe Shyam
16/08/21
देहरादून